प्राथमिक डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

देवी पत्नि यादराम जाति मीना निवासी तुर्कपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम, जिला करौली (राज0)
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली राज0

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 बावत इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188

मु0न0ः– 82/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एवं रे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिकी दी जाती है कि

ग्राम तुर्कपुर के आराजी खसरा नम्बर, 155 रकबा 0.44 की जमाबंदी अंतिम साला 2076–2079 के नवीन खाता संख्या 62 में दर्ज नाम कैला देवी पत्नि का हजफ कर कैली ी पत्नि यादराम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज.....................मुबलिंग...........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय द बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21.01.26 ....को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

मु0न0 82 / 25

कैलादेवी बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:— 82 / 2025

तारीख रजू :— 07.07.2025

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

1. कैली देवी पत्नि यादराम जाति मीना निवासी तुर्कपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम, जिला करौली (राज0)
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली राज0

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 बावत इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188

उपस्थित :— 1 श्री महेन्द्र शर्मा एडवोकेट वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक—21.1.26

वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 155 रकवा 0.44 है० किस्म चाही प्रथम वाकेग्राम तुर्कपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान की जमाबंदी (खेवट) खतोनी अंतिम चौसाला आधार संबंत 2076—79 जमाबंदी 2075 (2019 से स्थायी) में दर्ज है नवीन खाता संख्या 62 में दर्ज कुल किता 1 कुल रकबा 0.44 में वादिया कैली देवी पत्नि यादराम मीना निवासी तुर्कपुर को कैला देवी पत्नि यादराम मीना निवासी गाजीपुर हिस्सा 1/2 हिस्से की हिस्सेदार दर्शा रखा है। शेष खातेदारी जमाबंदी में दर्ज अपने हिस्सो के अनुसार हिस्सेदार खातेदार है।

दिनांक 05 जुलाई माह सन 2005 में वादिया कैली देवी पत्नि यादराम मीना निवासी तुर्कपुर ने चौथी रसूल व गंगासहाय पुत्रान गेंदया निवासी गाजीपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

से ख0न0 155 रकबा 0.44 है0 ग्राम तुर्कपुर का 1/2 भाग को क्रय किया था। जिसका पंजीकरण उपपंजीयक टोडाभीम के यहां दिनांक 05/07/2005 को पु0स0 1 जिल्द संख्या 121 पृष्ठ संख्या 176 क्रम संख्या 713 पर पंजीबद्व किया गया है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ संख्या 176 क्रम संख्या 713 पर पंजीबद्व किया गया है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ संख्या 213 से 220 पर चस्पा किया। वादिया कैली देवी के नाम तत्कालीन पटवारी श्री प्रमोद शुक्ला को ग्राम तुर्कपुर में नामातरण संख्या 41 दिनांक 13.08.2026 दर्ज करते समय वादिया का नाम कैली देवी के स्थान पर कैला देवी दर्ज कर दिया। तथा निवासी तुर्कपुर के स्थान पर गाजीपुर दर्ज कर दिया। जो रजिस्टर्ड दस्तावेजो के अनुसार नही था। अतः कैला देवी हजब कर कैली देवी निवासी तुर्कपुर के स्थान पर गाजीपुर दर्ज कर दिया। जो रजिस्टर्ड दस्तावेजो के अनुसार नही था। अतः कैला देवी हजब कर कैली देवी निवासी गाजीपुर के स्थान पर तुर्कपुर दर्ज करवाने हेतु सादर निवेदन है। जो गलत वादिया का नाम था जबकि संबंधित व जिसका पता प्रार्थिया को उपरोक्त नांमातरण संख्या 41 दिनांक 20.08.2005 ग्राम तुर्कपुर की नकल पटवारी जी करीरी से दिनांक 02.06.2025 को प्राप्त करने के बाद पला चला था। वादिया को राज्य सरकार द्वारा भूमि संबंधी कैम्प लगाने एवं पटवारी जी द्वारा वादिया की संबधित क्रय की गयी भूमि के दस्तावेज का मिलान व वादिया के आधार कार्ड संख्या 2075 9954 2269 अन्य दस्तावेजो से मिलान करने पर बताया गया कि आपका नाम एवं आपके भूमि अधिकार अभिलेखप व अन्य दस्तावेज ग्राम तुर्कपुर कैला देवी निवासी गाजीपुर दर्ज है। तथा आपके संबंधित रजिस्टर्ड दस्तावेज व व्यक्गित दस्तावेज में कैली देवी निवासी तुर्कपुर दर्ज है।

वाका दिनांक 01.06.2025 का है वादिया पटवारी करीरी के पास वाद पत्र के में वर्णित पंजीयन शुदा दस्तावेजो जिसका वर्णन किया गया है। आराजी में अपना नाम शुद्व करवाने हेतु पटवारी जी करीरी से निवेदन किया कि मेरा उपरोक्त खसरा नम्बर के खाते में खातेदार का नाम कैला देवी पत्नि यादराम मीना निवासी गाजीपुर के स्थान पर वाद पत्र में वर्णित आराजी ख0न0 155 रकबा 0.44 है0 में वाके ग्राम तुर्कपुर में कैली देवी पत्नि यादराम मीना जाति मीना निवासी तुर्कपुर हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया जावे तो पटवारी जी हल्का करीरी ने स्पष्ट शब्दो में मना कर दिया। वादिया तहसीलदार टोडाभीम के कार्यालय में वादिया का नाम वाद पत्र में अंकित भूमि ख0न0 155 रकबा 0.44 है0 में वाके ग्राम तुर्कपुर में कैली देवी पत्नि यादराम मीना निवासी गाजीपुर के स्थान पर वादिया का नाम का नाम कैली देवी पत्नि यादराम मीना निवासी तुर्कपुर दर्ज करवाने के लिये

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

निवेदन किया तो तहसीलदार टोडाभीम ने स्पष्ट शब्दो में नाम ुद्वि के लिये मना कर दिया।

दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिग्री फरमायी जाकर आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.44 जो ग्राम तुर्कपुर की जमबंदी अंतिम चौसाला 2076–2079 के नवीन खाता संख्या 62 में दर्ज काश्तकार का नाम कैला देवी पत्नि यादराम मीना निवासी मीना हिस्सा 1/2 जाति मीना गाजीपुर खातेदार का नाम काश्तकार का नाम दर्ज किया जाव। एवं तहसीलदार टोडाभीम को आदेश फरमाया जाये कि ग्राम तुर्कपुर के वर्तमान जमाबंदी सं0 2076–2079 के नवीन खाता संख्या 62 में दर्ज काश्तकार कैला देवी पत्नि यादराम हिस्सा 1/2 जाति मीना सा0 गाजीपुर को हजब कर उसके स्थान पर नवीन प्रविष्ठि कैली देवी पत्नि यादराम हिस्सा 1/4 जाति मीना सा तुर्कपुर दर्ज करें।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी पैरोकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) को जरिये सम्मन तलब किया गया है पैरोकार सरकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) ने जबाव पेश किया कि ग्राम तुर्कपुर में जमाबंदी सवत् 2076–79 के खाता संख्या 62 खसरा संख्या 155 रकबा 0.44 है0 में कैली देवी पत्नि यादराम हिस्सा 1/2 रामधन पुत्र नन्दू हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. गाजीपुर रिकार्ड दर्ज है। ग्राम तुर्कपुर में **कैली देवी** पत्नि यादराम के नाम नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 20.08.2005 जरिये विक्रय पत्र से नाम रिकार्ड दर्ज हुआ है। वादी द्वारा दिनांक 05.07.2005 को जरिये विक्रय पत्र क्रमांक 713 के द्वारा चौथी रसूल गंगासहाय पिता गेदया जाति मीना निवासी गाजीपुर से क्रय की गई थी। वादीया का नाम विक्रय पत्र में **कैलीदेवी पत्नि यादराम** जाति मीना निवासी तुर्कपुर दर्ज है। जबकि नामान्तकरण संख्या 41 दर्ज करते समय वादीया का नाम **कैलादेवी पत्नि यादराम दर्ज किया गया।**

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा दौराने बहस बताया कि आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.44 जो ग्राम तुर्कपुर की जमाबंदी अंतिम चौसाला 2076–2079 के नवीन खाता संख्या 62 में दर्ज काश्तकार का नाम कैला देवी पत्नि यादराम मीना निवासी गाजीपुर हिस्सा 1/2 नाम हजब कर कशताकर का नाम कैली देवी पत्नि यादराम मीना हिस्सा 1/2 जाति मीना गाजीपुर खातेदार का नाम काश्तकार का नाम दर्ज किया जावे। ग्राम तुर्कपुर के वर्तमान जमाबंदी सं0 2076–2079 के नवीन खाता संख्या 62 में दर्ज काश्तकार कैला देवी पत्नि यादराम हिस्सा 1/2 जाति मीना सा0 गाजीपुर को हजब कर उसके स्थान पर नवीन प्रविष्ठि कर **कैली देवी पत्नि यादराम हिस्सा 1/4 जाति मीना सा तुर्कपुर दर्ज** करें

उपखण्ड अ... कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

पैराकार सरकार द्वारा बहस में बताया कि ग्राम तुर्कपुर में जमाबंदी सवत् 2076–79 के खाता संख्या 62 खसरा संख्या 155 रकबा 0.44 है0 में कैली देवी पत्नि यादराम हिस्सा 1/2 रामधन पुत्र नन्दू हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. गाजीपुर रिकार्ड दर्ज है। ग्राम तुर्कपुर में कैली देवी पत्नि यादराम के नाम नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 20.08.2005 जरिये विक्रय पत्र से नाम रिकार्ड दर्ज हुआ है। वादी द्वारा दिनांक 05.07.2005 को जरिये विक्रय पत्र क्रमांक 713 के द्वारा चौथी रसूल गंगासहाय पिता गेदया जाति मीना निवासी गाजीपुर से क्रय की गई थी। वादीया का नाम विक्रय पत्र में **कैलीदेवी पत्नि यादराम** जाति मीना निवासी तुर्कपुर दर्ज है। जबकि नामान्तकरण संख्या 41 दर्ज करते समय वादीया का नाम **कैलादेवी पत्नि यादराम** दर्ज किया गया।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादीया का नाम विक्रय पत्र में कैलीदेवी पत्नि यादराम जाति मीना निवासी तुर्कपुर दर्ज है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम तुर्कपुर के आराजी खसरा नम्बर, 155 रकबा 0.44 की जमाबंदी अंतिम चौसाला 2076–2079 के नवीन खाता संख्या 62 में दर्ज नाम कैला देवी पत्नि का हजफ कर कैली देवी पत्नि यादराम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। आदेश पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

यह निर्णय दिनांक ....21.01.2026.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला करौली